कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांकःआई.–7 / एफ.एस.(पेट्रोल पम्प) अम्बेडकरनगर / 2016 दिनांक– 21-10-16

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

विषय– श्री विक्रम सिंह ठाकुर ट्रेटरी मैनेजर (रिटेल) गोरखपुर के पत्र संख्या **NRO.BETW.KM.ST. 194 to 199 on SH30 DATE-08-10-2016** द्वारा गाटा संख्या–262 स्थित ग्राम बरही, परगना व तहसील–टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर पर नये पेट्रोल पम्प की स्थापना किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के पत्रांक संख्या–567 / ई0आर0के0 / पेट्रोलपम्प–स्था0 / अनापत्ति–प्रा0प0 / 2016, दिनांक–15 अक्टूबर, 2016 के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के द्वारा उपरोक्त विषयक स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्नवत् पाया गया–

1– उपरोक्त प्रस्तावित स्थल अकबरपुर आजमगढ़ रोड पर नियर किलोमीटर स्टोन नं0 194 ग्राम बरही परगना व तहसील–टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर में स्थित है ।

2– रोड वाइडिनिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है ।

3– प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाइटेंशन लाइन नहीं गयी है ।

4– बी0पी0सी0 की प्रस्तावित एरिया 36.57x36.57 मीटर है ।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था :–

1– ABC टाइप फायर एग्स्टिंग्यूशर 9 किग्रा. क्षमता के प्रत्येक फ्यूल मशीन पर दो–दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

2– जनरेटर रूम पर 4.5 किग्रा. क्षमता का CO_2 फायर एग्स्टिंग्यूशर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

3– सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो–दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

4– धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की जायेगी तथा डीलर रूम में धूम्रपान निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

5– प्रत्येक लुब्रीकेन्ट स्टोर में 9 किग्रा. क्षमता का ABC टाइप–1 अदद तथा CO_2 टाइप 4.5 कि0ग्रा0 का एक अदद फायर एग्स्टिंग्यूशर लगाया जायेगा।

6– मानचित्र पर अंकित क्रम संख्या–1 से 23 तक बिन्दुओं को समायोजित करते हुए पालन किया जायेगा।

7– बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा, जिसकी ऊँचाई 6 फिट से कम नहीं होगी।

8– रिजर्व बालू टैंक की क्षमता 6×3×3 फिट का बनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष होगी। प्रतिष्ठान संचालन के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वामी / प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग / रिफलिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराकर क्रियाशील रखना, ढाँचगत / अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ पेट्रोलियम रूल्स 2002 में उल्लिखित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(रविशंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।